REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2023

हरियाणा राज्य की विवाहित महिलाओं पर घरेलू दुर्व्यवहार की व्यापकता: एक अध्ययन

अजय सिंह[1], डॉ. सुरेंद्र कुमार[2]
[1]शोधार्थी
[2]सहायक प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग, एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल (हरियाणा)

सारांश

"हरियाणा राज्य की विवाहित महिलाओं पर घरेलू दुर्व्यवहार की व्यापकता: एक शोध" शीर्षक वाला वर्तमान अध्ययन हरियाणा राज्य के गांवों में आयोजित किया गया है। वर्तमान अध्ययन में हमने हरियाणा राज्य के दो जिले कैथल और कुरुक्षेत्र जिले को लॉटरी पद्धति से यादृच्छिक रूप से चुना है और फिर से हमने प्रत्येक जिले से दो– दो गांवों का चयन किया है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में हमने प्रत्येक जिले के दो गांवों का चयन किया है, कैथल जिले के गांव करोड़ा एवं सेरधा गांव से और कुरुक्षेत्र जिले के गांव किरमच एवं बारना गांव का चयन लॉटरी पद्धति से चयनित किया गया है।

सबसे पहले हमने उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया। हमने उत्तरदाताओं को उनकी श्रेणी यानी उच्च जाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया। 375 उत्तरदाताओं में जाट, जट सिख, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी (खत्री), सारस्वत ब्राह्मण, सैनी, नाई, तेली, राजमिस्त्री, कुम्हार, कश्यप, लुहार, खाती, सुनार, जोगी, गडरिया, धा`बी, बंजारा, बैरागी, गुर्जर, कंबोज, छिम्बी, चमार, धानक, बाल्मीकि, अहेडीं, डूम, बाजीगर, पिराई, ब्यास जाति के थे।

विषय संकेतक: घरेलू हिंसा, विवाहित महिलाएँ

परिचय

मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56 वें श्लोक में नारियों के गौरवपूर्ण स्थान को बताया गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वही पर दिव्य शक्तियाँ रमण विचरण भ्रमण निवास करती हैं। जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ समस्त अच्छी से अच्छी क्रियाएं (कर्म) निष्फल हो जाती हैं। नारी एक वह पहलू हैं जिसके बिना किसी समाज की रचना संभव नही हैं। समाज नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती हैं।
नारी के बिना एक नये जीव की कल्पना भी नहीं कर सकते अर्थात नारी एक सर्जन हैं, रचनाकार हैं। यह कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं फिर भी इस पितृसत्तात्मक समाज में उसे हीन दृष्टि से देखा जाता हैं पुत्र जन्म पर हर्ष तथा पुत्री जन्म पर संवेदना व्यक्त की जाती हैं भारतीय समाज में आज भी पुत्रों को पुत्रियों से अधिक महत्व दिया जाता हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां यह बदलाव सम्मानजनक एवं सकारात्मक हैं, पर अधिकांश

जगहों पर ये बदलाव महिलाओं के प्रतिकूल साबित हो रहे हैं। आज महिलाओं के पिछडेपन के कई कारण हैं जिनमें से एक बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना हैं समाजशास्त्रियों ने कहा है कि ''दस पुरुषों की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

प्रभाती मुखर्जी (Man in India] July&Sept- 1964: 267) ने पौराणिक काल में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारणों को बताते हुए अल्टेकर (1938), विन्टरनिज (1920), मित्तर और चौधरी (1956) को उद्धृत किया है। ये कारण हैं: सम्पूर्ण समाज पर ब्राह्मणों द्वारा थोपे गए संयमों के कारण, जाति प्रथा द्वारा लगाए प्रतिबन्धों के कारण, संयुक्त परिवार के कारण, स्त्रियों के लिए शिक्षा की कम सुविधाओं के कारण, आर्य परिवार में गैर–आर्य पत्नी का प्रवेश, तथा विदेशी आक्रमणों के कारण।

मध्य काल में स्त्रियाँ : – मध्यकाल में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक नही थी। विदेशी आक्रमणकारियों के देश में आने के साथ ही स्त्रियों को पर्दे में रखा जाने लगा उनकी शिक्षा–दीक्षा भी बंद कर दी गयी, उनको घर की चारदीवारी के भीतर एक प्रकार से कैद ही कर लिया गया था। पुरूष वर्ग ने समाज में धीरे–धीरे अपने इन कृत्यों को धर्म का नाम देकर स्त्रियों के जीवन को कष्टप्रद बना डाला। उसी समय बहु पत्नी विवाह, यौन शोषण की भी शुरूआत हो गयी थी।

बाल विवाह, सती प्रथा एवं विधवा के विवाह पर रोक लगा दी गयी, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। उनको घर की चारदीवारी के अन्दर ही रहना होता था, किसी भी शुभ कार्य में उनकी उपस्थिति को सही नहीं माना जाता था, उन पर खाने–पीने का भी प्रतिबंध था, विधवाओं का जीवन धार्मिक रूप से बांधकर कष्टप्रद कर दिया गया था। स्त्रियों को शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कोई भी अधिकार प्राप्त नही थे, स्त्रियों की इसी सोचनीय दशा के कारण उस समय भारतीय समाज पतन की ओर जाने लगा था।

भारत में घेरलू हिंसा: –

आज महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएँ ही नहीं बढ़ रही हैं अपितु घरेलू हिंसा (महिला उत्पीड़न) में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा (महिला उत्पीड़न) का सम्बन्ध घर–गृहस्थी में नारी पर की जाने वाली शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। महिलाएँ अनेक प्रकार के अपराधों से ग्रसित हैं। महिलाओं को शारीरिक व मानसिक यातनाएँ देना, उसके साथ मार–पीट करना, उसका शोषण करना, स्त्रीत्व को नंगा करना, भूखा–प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति अपराध ही कहे जाएँगे।

सेनल का कहना सही है कि इस घरेलू हिंसा के विरुद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है। नगरों में नारियों को परस्पर बातचीत करना सीखना चाहिए और एक–दूसरे के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत तो ऐसे संरक्षण गृहों की है जहां ऐसी परिस्थिति में नारी अपने बच्चों के साथ सिर छिपा सके और फिर इसी दशा में आवश्यक कदम उठा सके। यहां यह बता दिया जाना आवश्यक है कि कानून की दृष्टि से नारी के प्रति यह घरेलू हिंसा एक अपराध है और पुलिस का यह दायित्व है कि ऐसे मामलों की जांच करे ऐसा न करना उनकी कार्य के प्रति लापरवाही समझी जाती है जो दण्डनीय है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसा निजी विषय नहीं हो सकता, यह तो सार्वजनिक मामला है।

पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश भर में आपराधिक मामलों का लेखा–जोखा रखने वाले केन्द्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 2,32,528 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2015 तक पहुँचते–पहुँचते बढ़कर 3,14,575 हो गए। 'क्राइम इन इंडिया–2016' शीर्षक से जारी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में बलात्कार के 38,947, दहेज हत्या के 7,621, अपहरण के 44,047, छेड़छाड़ के 84,746 और यौन शोषण के 8,685 मामले दर्ज किए गए। भारतीय दण्ड संहिता (प्च्ब्) के तहत वर्ष 2019 तक दर्ज कुल मामलें 4,05,681 हो गये। निम्न तालिका में वर्ष 2012–2019 के दौरान विभिन्न अपराध शीर्षकों के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध किए गए कुल अपराधों को दर्शाया गया है इसमें नया शीषर्क पोस्को है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के एक वर्गीकरण में हिंसा को तीन भागों में विभक्त किया गया है:

(1) आपराधिक हिंसाय जैसे बलात्कार एवं अपहरण, आदि।

(2) घरेलू हिंसाय जैसे दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, आदि।

(3) सामाजिक हिंसाय जैसे पत्नी एवं पुत्र–वधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़–छाड़, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना एवं स्त्री को सम्पत्ति में हिस्सा न देना, आदि।

घरेलू हिंसा (महिला उत्पीड़न) का अर्थ

जैसाकि पहले भी बताया गया है कि घरेलू हिंसा (महिला उत्पीड़न) का सम्बन्ध घर–गृहस्थी में नारी के विरुद्ध किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय दुल्हन सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब उसका प्रेम, शान्ति व आत्म–उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु इसके विपरीत सैंकड़ों विवाहित युवतियों के सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मार–पीट और यातना के अन्तहीन सफर में अपने आपको अकेला पाती हैं, जहाँ उनकी चीख–पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दुःख तो यह है कि ऐसी मार–पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति–पत्नी के बीच एक निजी मामला समझा जाता है। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाएँ तो वहाँ भी पुरुष प्रधान संस्कृति में पले पुलिस अधिकारी पहले स्त्री का ही मजाक उड़ाते हैं और रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करते हैं।

घरेलू हिंसा की परिभाषाः–

पुलिस विभाग के अनुसारः–''महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ता तथा अकारण मारपीट प्रमुख हैं''।

राज्य महिला आयोग के अनुसारः–''कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गयी मारपीट अथवा अन्य प्रताडना से तृष्ट है तो वह घरेलू हिंसा कहलायगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसमें घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता के अधिकार प्रदान करता है''।

अध्ययन के उद्देश्य

- महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में जिम्मेदार कारको का अध्ययन करना।
- घरेलू हिंसा कि शिकार महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि जानना।

क्रियाविधि

अध्ययन का क्षेत्र

वर्तमान अध्ययन हरियाणा राज्य के दो जिलों कैथल और कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। प्रस्तुत अध्ययन के लिए प्रत्येक जिले के दो गांवों का चयन किया गया है। अध्ययन के लिए कैथल जिले के सेरधा, एवं करोड़ा गांव और कुरुक्षेत्र जिले के बारना और किरमच गांव का चयन किया गया है।

नमूनाकरण

ग्रामीण हरियाणा राज्य में घरेलू हिंसा के स्वरूप और प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमने परिवार को एक इकाई माना है। हमने हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों की सूची तैयार की। 22 जिलों में से हमने साधारण लॉटरी पद्धति का उपयोग करके दो जिलों का चयन किया और प्रत्येक जिले से दो गांवों के चयन के लिए समान प्रक्रिया का पालन किया गया। पहले चरण में कैथल जिले तथा दूसरे चरण में कुरुक्षेत्र जिले का चयन किया गया।

अतः साधारण लाटरी पद्धति से कैथल जिले के गांव करोड़ा एवं सेरधा तथा कुरुक्षेत्र जिले के गांव किरमच एवं बारना गांव चयन किया गया। हमने प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए कोटा नमूनाकरण का उपयोग किया।

वर्तमान अध्ययन में हमने कोटा नमूनाकरण लागू किया क्योंकि प्रत्येक गाँव में परिवारों की कुल संख्या भिन्न थी। प्रत्येक गांव से डेटा एकत्र करने के लिए 80 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस अध्ययन में हमने केवल उन महिलाओं को शामिल किया है जो घरेलू हिंसा की शिकार थीं।

परिणाम और विश्लेषण

उत्तरदाताओं की सूची

जाति	उत्तरदाता	प्रतिशत
सामान्य जाति	186	**49.60**
अन्य पिछड़ा वर्ग	93	**24.80**
अनुसूचित जाति	96	**25.60**
कुल	**375**	**100.00**

उत्तरदाताओं की आयु

उत्तरदाताओं की उम्र/आयु	उत्तरदाता	प्रतिशत
18 – 25 वर्ष	95	**25.33**
26 – 30 वर्ष	129	**34.40**
31 – 35 वर्ष	99	**26.40**
35 वर्ष से अधिक	52	**13.87**
कुल	**375**	**100.00**

उत्तरदाताओं की जाति और शिक्षा

उत्तरदाताओं की जाति	उत्तरदाताओं की शिक्षा						कुल शिक्षित
	पांचवी	आठवीं	दसवीं	बारहवीं	बी.ए.	एम.ए.	
सामान्य जाति	8 (4.30)	16 (8.60)	19 (10.22)	50 (26.88)	79 (42.47)	14 (7.53)	**186 (49.60)**
अन्य पिछड़ा वर्ग	15 (16.13)	10 (10.75)	16 (17.20)	25 (26.88)	24 (25.81)	2 (2.15)	**93 (24.80)**
अनुसूचित जाति	15 (15.63)	29 (30.21)	21 (21.88)	16 (16.67)	14 (14.58)	1 (1.04)	**96 (25.60)**
कुल	**39 (10.40)**	**55 (14.67)**	**56 (14.93)**	**91 (24.27)**	**117 (31.20)**	**17 (4.53)**	**375 (100.00)**

घर पर महिलाओं के साथ झगड़े की बारंबारता

आवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
नियमित तौर पर	217	57.87
कभी–कभी	90	24.00
कभी नहीं	68	18.13
कुल	**375**	**100.00**

तालिका 4.47 घर में महिलाओं के साथ झगड़े की बारंबारता को दर्शाती है। 57.87 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने कहा कि उनके घर में झगड़े नियमित होते हैं, 24 प्रतिशत ने कहा कि उनके घर में कभी–कभी झगड़े होते हैं और 18.13 प्रतिशत ने कहा कि उनके घर में झगड़े कभी नहीं होते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के साथ झगड़ा उनके घर में नियमित प्रथा है।

उत्तरदाताओं के साथ झगड़े में परिवार के सदस्यों के शामिल होने के संबंध में दृष्टिकोण

परिवार के सदस्य	उत्तरदाताओं	प्रतिशत
पति	197	52.53
सास–ससुर	114	30.40
पति की बहन और जीजा	40	10.67
पति का बड़ा भाई और भाभी	24	6.40
कुल	**375**	**100.00**

तालिका 4.48 में परिवार के सदस्यों के झगड़ों में शामिल होने के संबंध में महिलाओं के दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। 52.53 प्रतिशत महिलाओं में से अधिकांश ने कहा कि उनके पति घर में झगड़ते हैं। 30.62 फीसदी महिलाओं ने बताया कि घर में उनके सास–ससुर उनसे झगड़ते हैं। करीब 10.67 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उनके पति की बहन और जीजा उनसे झगड़ते हैं और करीब 6.40 फीसदी महिलाओं का कहना है कि उनके पति का बड़ा भाई और भाभी घर में उनसे झगड़ते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर महिलाओं के साथ उनके पतियों ने दुर्व्यवहार किया।

उत्तरदाताओं के साथ घरेलू हिंसा के दृष्टिकोण

उत्तरदाताओं के सुझाव	उत्तरदाताओं	प्रतिशत
हर इंसान एक समान	75	20.00
हिंसा सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है	64	17.07
सुखी जीवन में बाधा	126	33.60
सामाजिक विकास के खिलाफ	10	2.67
कुल	**375**	**100.00**

तालिका 4.56 घरेलू हिंसा के संबंध में उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का वर्णन करती है। प्रतिशत उत्तरदाताओं में से अधिकांश घरेलू हिंसा के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना है कि हिंसा सुखी जीवन जीने में बाधा है। लगभग 33.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि घरेलू हिंसा सामाजिक विकास के विरुद्ध है और 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य समान है। लगभग 17.07 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि हिंसा सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है।

उत्तरदाताओं के साथ घरेलू हिंसा के कारण

वजह	उत्तरदाता	प्रतिशत
पुरुष वर्चस्व	130	34.67
दहेज	68	18.13
नशीली दवाओं की लत/शराब	76	20.27
बेरोजगारी	101	26.93
कुल	375	100.00

तालिका 4.57 ग्रामीण समाज में हिंसा के कारणों का वर्णन करती है कि 34.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने बताया कि पुरुष प्रधानता के कारण महिलाएं हिंसा की शिकार थीं। लगभग 26.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बेरोजगारी के कारण महिलाएं हिंसा का शिकार हुई हैं।और 20.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को अत्यधिक नशीली दवाओं की लतध्शराब के कारण हिंसा का सामना करना पड़ा। 18.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज में दहेज प्रथा के कारण महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। फील्ड वर्क के दौरान यह देखा गया कि समाज में पुरुष वर्चस्व के कारण ज्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार थीं।

इस तालिका के संबंध में हम यहां एक केस स्टडी की व्याख्या करते हैंय एक महिला 27 साल की थी और 21 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। वह कैथल जिले के करोड़ा गांव की रहने वाली थी और जाट जाति की थी। उसने आठवीं स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने घरेलू कामों में लगी रही। वह कृषि श्रमिक में भी लगी हुई थी। वह संयुक्त परिवार से थी और परिवार का मुखिया उसका ससुर था। उसके परिवार में उसके पति, सास, ससुर और उसके दो बच्चों सहित छह सदस्य थे। वह बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थीं। वह अपने पति की दूसरी पत्नी थी और उसके पति की उम्र 30 वर्ष थी।

उनका परिवार पारंपरिक व्यवसाय में लगा हुआ है। उसके ससुर और पति शराब का नशा करते थे। उसका पति अभद्र भाषा का प्रयोग करता था और उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। उसके साथ अक्सर उसके ससुर और पति द्वारा भेदभाव किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। उसके ससुराल वाले उसे कभी भी परिवार के सम्मानित सदस्य के रूप में नहीं मानते हैं। उसने बताया कि शराब उसके साथ हिंसा का मुख्य कारण थे।

दहेज के कारण उत्तरदाताओं के साथ हिंसा

जवाब	उत्तरदाताओं	प्रतिशत
हां	215	57.33
नहीं	160	42.67
कुल	375	100.00

तालिका 4.58 से पता चलता है कि 57.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दहेज के कारण उत्पीड़ित किया और लगभग 42.67 प्रतिशत महिलाओं को ग्रामीण समाज में विभिन्न अन्य कारकों के कारण घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा।

दहेज की मांग को लेकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का रूप

दुर्व्यवहार का रूप	उत्तरदाता	प्रतिशत
शारीरिक रूप से पिटाई	148	39.47
सदन से बाहर फेंकना	18	4.80
मौखिक रूप से दुर्व्यवहार	197	52.53
बच्चे से अलगाव	12	3.20
कुल	375	100.00

तालिका 4.61 दहेज की मांग के कारण महिलाओं के साथ खराब व्यवहार के बारे में उत्तरदाता के विचारों को दर्शाती है। 52.53 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि दहेज के लिए उनके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है और ताना मारा जाता है। 39.47 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा और उन्हें कई बार पीटा गया. प्रतिक्रियाओं के समान अनुपात अर्थात 4.80 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें घर से निकाल दिया गया और उनके बच्चों से अलग कर दिया गया। यह पाया गया कि फील्ड वर्क के दौरान जो महिलाएं दहेज की मांग को पूरा करती थीं और जो दहेज की मांग को पूरा नहीं करती थीं, उन सभी को ग्रामीण समाज में विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता था।

इस तालिका के संबंध में हम यहां एक केस स्टडी की व्याख्या करते हैंय एक महिला 27 साल की थी और वह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिले के बारना गांव की रहने वाली है । वह जाति से तेली थीं। उन्होंने दसवीं स्तर तक शिक्षा प्राप्त की और उनके पति जाति आधारित पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए। उनका परिवार भी उनके जाति आधारित पारंपरिक व्यवसाय में लगा हुआ था। 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। वह करनाल की बेटी है और उसकी शादी बारना गांव में हुई है। उसका ससुर, सास, अविवाहित देवर, उसका पति, दो लड़के और एक लड़की सहित संयुक्त परिवार है। परिवार का मुखिया उसका पति था। उसके बच्चों की उम्र 6 साल तक थी। उसका पति ड्रग एडिक्ट था और अक्सर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था।

उत्तरदाताओं के साथ दुर्व्यवहार के कारण

दुर्व्यवहार का कारण	उत्तरदाता	प्रतिशत
सुबह देर से उठना और समय पर काम पूरा नहीं करना	40	10.67
बिना अनुमति के घर से बाहर जाना	22	5.87
फोन पर बात करना	24	6.40
शादी के समय कभी भी पर्याप्त दहेज न लाना	34	9.07
ससुराल वालों की उचित देखभाल नहीं करना	26	6.93
पति की शराब की आदत	80	21.33
बेरोजगारी के कारण	58	15.47
शिक्षा के निम्न स्तर के कारण	52	13.87
कठोर सामाजिक रीति–रिवाजों के कारण	39	10.40
कुल	375	100.00

तालिका 4.62 परिवार में उत्तरदाताओं के साथ दुर्व्यवहार के कारणों को दर्शाती है। 10.40 प्रतिशत महिलाओं में से अधिकांश ने कठोर सामाजिक रीति–रिवाजों (पक्षपात) को बुरे व्यवहार का प्रमुख कारण बताया। 21.33 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनके पति अधिक शराब पीते हैं इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। लगभग 9 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनकी शादी में पर्याप्त दहेज नहीं लाने के कारण उनके

साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रतिक्रियाओं के समान अनुपात अर्थात 6.40 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि जब वे लंबे समय तक अपने मायके के रिश्तेदारों से फोन पर बात करती हैं और अपने ससुराल वालों की उचित देखभाल नहीं करती हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। 13.87 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे कम पढ़ी–लिखी हैं, इसलिए उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। प्रतिक्रियाओं के समान अनुपात में लगभग 10.67 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि सुबह देर से उठने, घर के काम समय पर न करने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रतिक्रियाओं के छोटे अनुपात में लगभग 6 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे बिना अनुमति के घर से बाहर जाती हैं, इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यह उस क्षेत्र में था किजहां परग्रामीण समाज में पितृसत्ता की जड़ें बहुत मजबूत हैं।

घरेलू हिंसा के संबंध में पारिवारिक व्यवसाय और उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

उत्तरदाताओं की पारिवारिक व्यवसाय	घरेलू हिंसा के बारे में प्रतिक्रियाएं				कुल
	हर इंसान एक समान	हिंसा सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है	सुखी जीवन में बाधा	सामाजिक विकास के खिलाफ	
सरकारी नौकरी	4 (19.05)	4 (19.05)	7 (33.33)	6 (28.57)	**21 (5.60)**
निजी नौकरी	3 (10.34)	4 (13.79)	10 (34.48)	12 (41.38)	**29 (7.73)**
कृषि श्रमिक	22 (27.50)	13 (16.25)	33 (41.25)	12 (15.00)	**80 (21.33)**
व्यापार	2 (5.56)	4 (11.11)	19 (52.78)	11 (30.56)	**36 (9.60)**
कृषि	8 (10.39)	22 (28.57)	18 (23.38)	29 (37.66)	**77 (20.53)**
पारंपरिक व्यवसाय	21 (23.08)	11 (12.09)	27 (29.67)	32 (35.16)	**91 (24.27)**
फैक्टरी मजदूर	15 (36.59)	6 (14.63)	12 (29.27)	8 (19.51)	**41 (10.93)**
कुल	**75 (20.00)**	**64 (17.07)**	**126 (33.60)**	**110 (29.33)**	**375 (100.00)**

तालिका 4.70 पारिवारिक व्यवसाय और घरेलू हिंसा के खिलाफ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के बीच संबंधों का वर्णन करती है। 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से अधिकांश घरेलू हिंसा के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना है कि यह सुखी जीवन की बाधा है; इनमें से 71.42 प्रतिशत परिवार निजी क्षेत्र की नौकरियों में, 64.28 प्रतिशत परिवार अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं और 42.85 प्रतिशत परिवार सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में लगे हुए हैं। 30 प्रतिशत ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कारण बताया, क्योंकि हर समाज को सामाजिक विकास की जरूरत है और घरेलू हिंसा सामाजिक विकास के लिए खतरा है; इनमें 85.71 प्रतिशत परिवार निजी क्षेत्र की नौकरियों में, 39.70 प्रतिशत परिवार कृषि में लगे हुए हैं और 36.14 प्रतिशत परिवार अपने जाति आधारित पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। यह देखा गया कि जो महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे कृषि, कृषि श्रमिक और पारंपरिक व्यवसाय में लगी हुई थीं, वे पूरी तरह से घरेलू हिंसा के खिलाफ थीं क्योंकि हिंसा सामाजिक समानता और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है।

निष्कर्ष

अधिकांश उत्तरदाताओं में से 31.20 प्रतिशत स्नातक थे। 14.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आठवीं स्तर तक शिक्षा प्राप्त की और नमूने के समान अनुपात यानी 10.40 प्रतिशत को पांचवीं स्तर पर सूचित किया गया और लगभग 4.53 प्रतिशत स्नातकोत्तर थे। अध्ययन से पता चलता है कि उच्च जाति की महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं और अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। लगभग 37.07 प्रतिशत उत्तरदाता अपने घरेलू कार्यों में लगे हुए थे। लगभग 4.80 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि संबंधी के रूप में कार्यरत थे और 16.27 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में संलग्न थे। 11.73 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पारंपरिक व्यवसाय में

कार्यरत थे। क्षेत्र में यह देखा गया कि अधिकांश उत्तरदाता अपने घरेलू कार्य और कृषि संबंधी कार्यों में कार्यरत थे।

उत्तरदाताओं की शादी की उम्र के संबंध में, नमूने के 59.47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शादी के समय उनकी उम्र 21 से 25 वर्ष थी। नमूने के 40.53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि विवाह के समय उनकी आयु 16 से 20 वर्ष थी। यह देखा गया कि अधिकांश महिलाएं अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित थीं, जिनकी शादी ग्रामीण समाज में कम उम्र में कर दी गई थी। इसी प्रकार पति–पत्नी के बीच आयु का अंतर गंभीर नहीं था, विवाह के समय औसत आयु अंतर 3 से 5 वर्ष देखा गया था।

हमने ग्रामीण समाज में घरेलू हिंसा की प्रकृति और सीमा का भी विश्लेषण किया है। नमूने के मुख्य भाग यानी 37.20 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अभद्र भाषा सुननी पड़ी। लगभग 36.80 फीसदी महिलाओं ने बताया कि उनके पति और परिवार वालों ने उन्हें धक्का दिया. 8.37 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें घर से बाहर काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सैंपल के समान अनुपात में 30.67 प्रतिशत महिलाओं को पीटा और थप्पड़ मारा गया। लगभग 6.39 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनके पति और परिवार के सदस्य उनके चरित्र पर दोषा रोपण कर रहे हैं। फील्ड वर्क के दौरान यह पाया गया कि समाज में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग बहुत आम है। उत्तरदाताओं में से अधिकांश 24 प्रतिशत महिलाओं ने कभी–कभी घरेलू हिंसा का सामना किया जबकि 57.87 प्रतिशत ने अपने पारिवारिक जीवन में अक्सर हिंसा का सामना किया। यह भी देखा गया कि अधिकांश कम शिक्षित महिलाएं और महिलाएं जो कमजोर वर्ग (ओ.बी. सी.ध्एस.सी.) से संबंधित थीं, ग्रामीण समाज में लगातार हिंसा की शिकार थीं।

44.80 प्रतिशत पति और परिवार के सदस्यों का व्यवहार महिलाओं के साथ रूखा था। 31.20 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि परिवार के सदस्यों और उनके पतियों का व्यवहार असहानुभूति पूर्ण था। यह भी देखा गया कि जो महिलाएं कमजोर वर्ग से संबंधित थीं, उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में अपने पति और परिवार के सदस्यों के असभ्य और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि अधिकांश युवतियों को अपने पति और परिवार के सदस्यों के साथ असभ्य और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार उन महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन अधिकांश कम शिक्षित महिलाएं अपने पति और परिवार के सदस्यों की तुलना में परिवार में असभ्य व्यवहार का सामना कर रही थीं।

संदर्भ

1. बेवॉयर, साइमन डी। (1974)। दूसरा सेक्स । ट्रांस। – ईडी। एचएम पार्शले, लंदनः पेंगुइन, 295।
2. बेगम, शाहिना। डोंटा, बलैया। नायर, सरिता और प्रकाशम, सीपी (2015)। शहरी मलिन बस्तियों, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में घरेलू हिंसा से जुड़े सामाजिक–जनसांख्यिकीय कारक। इंडियन जे मेड रेस 141, पेजः 783–788।
3. भट्टाचार्य, अबंतिका। बसु, मौसमी. दास, पलाश. सरकार, आदित्य प्रसाद। दास, प्रशांत कुमार रॉय, विमान (2013)। घरेलू हिंसाः भारत में एक छिपी और गहरी जड़ें जमा चुकी स्वास्थ्य समस्या। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दक्षिण पूर्व एशिया जर्नल। वॉल्यूम। 3(1), पेजः 17–23.
4. भट्टाचार्य, मानसी। बेदी, अर्जुन एस. छाछी, अमृता (2009)। वैवाहिक हिंसा और महिला रोजगार और संपत्ति की स्थितिः उत्तर भारतीय गांवों से साक्ष्य। आईजेडए डीपी नंबर 4361, पेजः 1–41।
5. भट्टाचार्य, रिंकी (2004)। बंद दरवाजों के पीछेः भारत में घरेलू हिंसा। नाई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन्स।
6. भुइया, अब्बास, एट अल (2003): बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की प्रकृतिः निवारक हस्तक्षेप के लिए निहितार्थ। स्वास्थ्य, जनसंख्या और पोषण का जर्नल। वॉल्यूम। 21. नंबर 1. मार्च 2003। पी। 48–54।
7. बिंदू किशोर (2011): हिंसा के पारंपरिक सिद्धांत के माध्यम से कार्यस्थल पर उत्पीड़न को समझनाः एक केस–आधारित दृष्टिकोण। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। वॉल्यूम। 3. क्रमांक 1. जुलाई–दिसंबर 2011। पृष्ठ 15–22।

8. बोंथा वी बाबू और शांतनु के कौर (2009): पूर्वी भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा : प्रसार और संबंधित मुद्दों पर एक जनसंख्या–आधारित अध्ययन। बीएमसी पब्लिक हेल्थ। वॉल्यूम। 9. नंबर 129।